लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2379

10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग का संरक्षण

2379. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक समानता सुनिश्चित करने के लिए लुधियाना के वस्त्र उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लुधियाना में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क और क्लस्टर विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि लुधियाना में लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अतिरिक्त बाधाएं उत्पन्न करने की बजाय गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) उनकी सहायता करें; और

(घ) क्या सरकार का लुधियाना के वस्त्र उद्योग के लिए वित्तीय राहत अथवा राजसहायता शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ताकि मुद्रास्फीति और बाजार मंदी से उत्पन्न प्रचालनात्मक चुनौतियों का सामना किया जा सके?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): भारत सरकार लुधियाना सहित पूरे भारत में वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं/पहल लागू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम); मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार देश भर में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना क्रियान्वित कर रही है।

वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय आधुनिक अवसंरचना के साथ वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना को क्रियान्वित कर रहा है। एसआईटीपी के तहत, पंजाब में तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिसमें से एक लुधियाना में लुधियाना एकीकृत वस्त्र पार्क भी शामिल है।

सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को उद्योग सहित हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद लागू किया जाता है। लघु और सूक्ष्म उद्यमों (लुधियाना के लघु और सूक्ष्म उद्यमों सहित) को जहाँ भी लागू हो, क्यूसीओ के अनुपालन के लिए विस्तारित समयसीमा प्रदान की जाती है।

****